88

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1990–एक/2007 – विरूद्ध आदेश दिनांक 6–10–2007 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 415/2006–07 निगरानी

1– सिद्वार्थ प्रसाद पुत्र रामकिशोर
2– महिला सुन्दरादेवी पत्नि सुदामाप्रसाद
3– सुदामाप्रसाद पुत्र कमला प्रसाद
4– चिंतामणि पुत्र कमलाप्रसाद
सभी ग्राम कोटर तहसील रामपुर वाघेलान
जिला सतना मध्य प्रदेश ———आवेदकगण

विरूद्ध

1– महिला जानकारी पुत्री नर्मदाप्रसाद
ग्राम कोटर तहसील रामपुर वाघेलान
2– महिला कैलशिया पत्नि स्व. चुन्नी
3– रामकुमार, भाईलाल, रामनरेश पुत्रगण चुन्नी
4– राघवेन्द्र सिंह पुत्र कमलभान सिंह
5– ददिया पुत्र मंधारी
6– महिला मुलझरिया पत्नि स्व.मतदिनमा
गेकरन, ललईया, शिवचरण पुत्रगण स्व.मतदिनमा
7– रामेश्वर पुत्र मंधारी
8– गंगा पुत्र गइला कोल
9– लक्ष्मिन, मोहन पुत्रगण गइला कोल
10–ददोलील पुत्र मॅहगू कोरी
11–धुनकामन पुत्र महंगू कोरी
12–रामसुदर्शन सिंह पुत्र छकोड़ी सिंह
13–महेन्द्र सिंह पुत्र रामसुदर्सन सिंह
सभी ग्राम अवेर तहसील रामपुर वाघेलान
14–रामश्रम सिंह पुत्र महादेव सिंह
ग्राम इटौर तहसील रामपुर वाघेलान जिला सतना
15–मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर सतना ———अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक 15 के पैनल लायर श्री आर0पी0पालीवाल)

आ दे श

(आज दिनांक 9 - 3 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 415/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6-10-2007 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आम जनता ग्राम अबेर (लगभग 38 ग्रामीणों) व्दारा हस्ताक्षरित आवेदन कलेक्टर सतना को प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम अबेर तहसील रामपुर वाघेलान की भूमि अवैधानिक तरीके से राजस्व अभिलेखों में रामसुदर्शन सिंह बल्द छक्कोड़ी सिंह आदि ने दर्ज कराई है जो पुनः म0प्र0शासन के नाम दर्ज कराई जाय। कलेक्टर सतना ने इस आवेदन को अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान को जांच हेतु भेजा। अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान ने जांच कर प्रतिवेदन दि. 22-5-2006 प्रस्तुत किया, जिस पर कलेक्टर सतना ने प्र0क0 38/2006-07 स्वमेव निगरानी पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 2-4-2007 पारित किया एंव ग्राम अबेर तहसील रामपुर वाघेलान की भूमि सर्वे नंबर 1 रकबा 85-15 एकड़, सर्वे नंबर 8 रकबा 33-44 एकड़, सर्वे नंबर 168 रकबा 5-16 एकड़, सर्वे नंबर 1895 रकबा 0-70 एकड़ पूर्ववत् मध्य प्रदेश शासन के नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 415/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6-10-2007 से निगरानी निरस्त कर दी। अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एंव म0प्र0शासन के पैनल लायर के तर्क सुने गये।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार रघुराजनगर ने आदेश दिनांक 30-11-1961 से आवेदक सिद्वार्थ प्रसाद को पटटा दिया था। कलेक्टर ने स्पष्ट नहीं किया है कि शिकायत किस व्यक्ति ने की है। अनुविभागीय अधिकारी का जांच प्रतिवेदन मनमाना है। सन् 1961-62 से भूमिस्वामी हक

की भूमि को 45 वर्ष वाद स्वमेव निगरानी में नहीं लिया जा सकता क्योंकि स्वमेव निगरानी केवल युक्तियुक्त समय के भीतर की जा सकती यदि भूमि सरकारी थी तब सीमांकन कैसे कर दिया गया। इन तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये पटटे की भूमि को 45 वर्ष वाद शासकीय घोषित करने की गलती की गई है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने इन तथ्यों पर विचार न करते हुये सरसरी तौर पर गलत आदेश पारित किया है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर एंव अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जावें।

शासन के पैनल लायर का तर्क है कि मध्य प्रदेश शासन के ध्यान में शिकायती आवेदन आने पर फर्जी खसरा प्रविष्टि की जानकारी आई है उसके वाद ही स्वमेव निगरानी दर्ज करते हुये जानकारी के दिन से समय-सीमा में कार्यवाही की गई है। यह संभव ही नहीं है कि कोई भी तहसीलदार एक व्यक्ति को 124 एकड़ भूमि का एकजाई पटटा दे दे। मध्य प्रदेश शासन की 124 एकड़ भूमि पर जालसाजी करके फर्जी खसरा प्रविष्टि पाई गई है। उन्होंने कलेक्टर सतना एंव अपर आयुक्त के आदेश सही होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आम जनता ग्राम अबेर (लगभग 38 ग्रामीणों) व्दारा नाम अंकित एंव हस्ताक्षरित करके आवेदन कलेक्टर सतना को दिया है जो कलेक्टर के प्रकरण के आरंभ में ही संलग्न है। जहां तक खसरा प्रविष्टि की लम्बी अवधि के वाद स्वमेव निगरानी का प्रश्न है मूल आवेदन पर कलेक्टर सतना व्दारा अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान को जांच हेतु दिये गये निर्देश के पास तिथि 30-11-2005 अंकित है अर्थात मध्य प्रदेश शासन (कलेक्टर सतना) के समक्ष 30-11-2005 को आवेदन आने एंव अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान व्दारा मूल अभिलेख की जांच कर दिये गये प्रतिवेदन दिनांक 22-5-2006 की प्राप्ति पर यह तथ्य पहली वार उजागर हुआ कि शासन की वाद विचारित भूमि पर बिना सक्षम आदेश के आवेदकगण एंव अनावेदकगण के नाम अनियमित खसरा प्रविष्टि की गई है। इसके उपरांत अंकित पक्षकारों के विरूद्व स्वमेव निगरानी दर्ज करके कलेक्टर सतना ने त्वरित कार्यवाही की है।

1. **श्रीमती छोटीवाई विरूद्व मध्य प्रदेश राज्य 2009 राजस्व निर्णय 357 में मान.**

उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि गलत प्रविष्टियों के बारे में सूचना अभिप्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् पुनरीक्षण की स्वप्रेरणा की शक्ति प्रयुक्त की गई। इसे विलम्बित नहीं कहा जा सकता।

1. रामकिशन विरूद्ध म0प्र0राज्य 2002 रा0नि0 7 में व्यवस्था दी गई है कि छै वर्ष पश्चात् स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण विशिष्ट परिस्थितियों में युक्तियुक्त हो सकता है। इसी आशय का माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत जीवनलाल विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य 2008 रा0नि0 327 भी है।

कलेक्टर सतना व्दारा वादविचारित भूमियों की फर्जी खसरा प्रविष्टि अभिज्ञान में आने के तत्काल वाद स्वमेव निगरानी दर्ज करके कार्यवाही करने में त्रृटि नहीं की गई है जिसके कारण आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा अनुचित विलम्ब के सम्बंध में उठाई गई आपत्ति माने जाने योग्य नहीं हैं

6/ जहां तक वादविचारित भूमि आवेदक को आवंटित किये जाने वावत् दिये गये तर्क का प्रश्न है ? अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान व्दारा मूल अभिलेख की जांच कर दिये गये प्रतिवेदन दिनांक 22-5-2006 के अनुसार वादग्रस्त भूमि की स्थिति इस प्रकार पाई गई है :-

" ख.नं. 8 वर्ष 1961-62 से 1965-66 के खसरे में एक चक में ही कुल रकबा 33-44 एकड़ मध्य प्रदेश शासन जंगल दर्ज था जिसे बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के पूर्व विवरण अनुसार भूमिस्वामी हक में दर्ज किया गया।

वर्ष 61-62 से 65-66 के खसरे में आ.नं. 168 रकबा 5-16 एकड़ म0प्र0शासन के नाम दर्ज था जिसे काटकर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश रामसुदर्सन पिता छकोड़ी सिंह निवासी अवेर के नाम कर दिया गया है। कालान्तर में इस भूमि के दो बटा नंबर दर्ज हुये। ख.नं. 168/1 रकबा 0.672 है. रामसुदर्शन पिता छकोड़ी सिंह सा.अवेर के नपम एंव आ0नं0 168/2 रकबा 1.416 है. महेन्द्र सिंह पिता रामसुदर्शन सिंह सा0अवेर के नाम कर दिया गया है। श्री महेन्द्र सिंह का कहना है कि उनहें भूमि बटवारे में प्राप्त हुई थी। अनावेदक भूमि बंटन के संबंध में केई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाये ---ख.नं. 168 पर म0प्र0शासन क नाम काटकर अनावेदकगणों का नाम दर्ज होना पूर्णता गलत पाया जाता है।

ख0नं0 1995 रकबा 0.70 एकड़ भी म0प्र0शासन के नाम दर्ज था जिसे बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के श्री सुन्दरा देवी पत्नि श्री सुदामा प्रसाद अवाल निवासी कोटर के नाम दर्ज किया गया। "

विचार का विषय है कि क्या म0प्र0शासन के अभिलेख में '' जॅगल '' नोईयत दर्ज भूमि बिना नोईयत परिवर्तन किये/कराये किसी व्यक्ति विशेष को आवंटित करने का दुस्साहस कोई राजस्व अधिकारी करेगा ? कदापि नहीं। प्रविष्टिकर्ता भूमि आवंटन आदेश प्रस्तुत नहीं कर सके है जिसके कारण कलेक्टर सतना जांच करके एंव पक्षकारों की सुनवाई उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तथाकथित प्रविष्टियॉ कूटरचित हैं जिसके कारण उन्होंने ग्राम अबेर तहसील रामपुर वाघेलान की भूमि सर्वे नंबर 1 रकबा 85-15 एकड़, सर्वे नंबर 8 रकबा 33-44 एकड़, सर्वे नंबर 168 रकबा 5-16 एकड़, सर्वे नंबर 1895 रकबा 0-70 एकड़ (कुल रकबा 124-25 एकड़) पूर्ववत् मध्य प्रदेश शासन के नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 415/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6-10-2007 में विस्तृत विवेचना करते हुये निगरानी निरस्त की है। कलेक्टर सतना व्दारा प्रकरण क्रमांक 38/2006-07 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 2-4-2007 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 6-10-2007 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजयश नहीं हैं

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 415/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6-10-2007 उचित होने यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर